प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

(प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प./प्रशिक्षण/11-3/2023-24/ No.Au/Trg/11-3/2023-24/

अनुभागीय आदेश सं./ SECTIONAL ORDER NO.20

दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुभागीय आदेश सं. 17 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित अधिकारियों को 24.04.2023 से 28.04.2023 तक ऑनसाइट मोड के माध्यम से आरटीआई, चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले मिड-कैरियर प्रशिक्षण स्तर 2 कार्यक्रम के लिए नामित किया गया है। उनसे अनुरोध है कि 24.0.2023 को सुबह 9.45 बजे आरटीआई चेन्नई में रिपोर्ट करें।

In partial modification to SO No.17 dated 20 April 2023, the following officials are nominated for the training programme on "Mid-career training Level 2 programme" to be conducted by RTI, Chennai through onsite mode from **24.04.2023 to 28.04.2023**. They are requested to report at RTI Chennai on 24.04.2023 at 9.45 am.

- 1. Shri CV Remasan, AAO in place of Shri R Mahesh, AAO
- 2. Shri CP Johnson, AAO in place of Shri Praveen Seetharam, AAO

प्रतिभागी अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तिथि पर 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days on date of completion of 3 months from the last day of Training.

(वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 20 अप्रैल 2023 के आदेशानुसार)

Sd/-

दिनांक: 20 अप्रैल 2023

Date: 20 April 2023

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि/ Copy to:

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक्र.प.ले) I(/.प.ले)I(
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.प.ले).ले.म.I(/.प.ले) I(के सचिव/ निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए